



राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग (G-3) विभाग
जयपुर राजस्थान

क्रमांक: एफ6(23) / एआर / जीआर-3 / 2012 /

दिनांक 28/3/13.

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सेटेलाईट चिकित्सालयों में दिनांक 7 अप्रैल 2013 से "मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉच योजना" लागू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री दबा योजना की तरह यह भी एक फलैगशिप योजना है। समय – समय पर इस महत्वपूर्ण योजना की मॉनिटरिंग प्रत्येक स्तर पर की जानी है। इस योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव महोदय द्वारा –राज्य स्तर, संभागीय स्तर एवं जिला स्तर पर नियमित समीक्षा हेतु समितियों का गठन करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। तदनुसार विभिन्न स्तरों पर निम्न समीक्षा समितियों (Monitoring Committee) का गठन किया जाता हैः–

1. राज्य स्तरीय समीक्षा समिति :-

- | | |
|--|------------|
| ● प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग | अध्यक्ष |
| ● प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | सदस्य |
| ● प्रबन्ध निदेशक, आर एम एस सी एल | सदस्य |
| ● अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग | सदस्य |
| ● निदेशक (जन स्वा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें | सदस्य |
| ● प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर | सदस्य |
| ● परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉच योजना | सदस्य सचिव |

2. संभाग स्तरीय (मेडिकल कालेज अस्पताल एवं संभाग के सभी अस्पतालों हेतु) समीक्षा समिति :-

- | | |
|--|------------|
| ● संभागीय आयुक्त | अध्यक्ष |
| ● जिला कलक्टर | सदस्य |
| ● प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज | सदस्य |
| ● अधीक्षक, मेडिकल कालेज अस्पताल | सदस्य |
| ● संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन | सदस्य |
| ● प्रभारी, रेडियोलोजी एवं पैथोलोजी विभाग | सदस्य |
| ● अधिशाषी अभियंता / सहायक अभियंता –
चि. एवं रक्त. विभाग / पी डब्लू डी | सदस्य |
| ● प्रभारी अधिकारी, डी डी डब्लू (डी पी सी) | सदस्य सचिव |



3. जिला स्तरीय समीक्षा समिति :-

● जिला कलक्टर	अध्यक्ष
● मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
● प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
● मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
● प्रभारी, रेडियोलोजी / पैथोलोजी विभाग	सदस्य
● अधिशासी अभियंता / सहायक अभियंता-	सदस्य
● प्रभारी अधिकारी, डी डी डब्लू (डी पी सी)	सदस्य सचिव

उपरोक्त समितियों प्रत्येक माह बैठक करेंगी एंव बैठक में इस योजना की समीक्षा करेगी एंव योजनाओं को गति प्रदान करेगी। सभी मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पूरे जिले की रिपोर्ट जिला स्तर पर आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। संभागीय स्तर पर होने वाली बैठक में संभागीय आयुक्त अपने सभी जिलों से प्राप्त होने वाली बैठक की कार्यवाही विवरण पर विचार कर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे एंव प्रतिमाह राज्य सरकार को अवगत करायेंगे।

इन समितियों का प्रशासनिक विभाग चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आर सी गुप्ता)
 संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ6(23) / एआर / जीआर-3 / 2012 /

दिनांक 28/3/13

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग राजस्थान।
5. निदेशक, जन. स्वा. चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
6. समस्त प्रधानाचार्य एंव नियंत्रक, मेडिकल कालेज, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाएं (जोन) राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

विशेषाधिकारी
 संयुक्त शासन सचिव
 प्रशासनिक गुप्ता (आर० 1, 3 व आर०आई) विभाग
 शासन सचिवालय, जयपुर